पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद ने मकान किराए भत्ते की 01 दिसम्बर, 2008 से लागू दरों को 01 जुलाई, 2018 से दोगुना करने का निर्णय लिया

इस निर्णय से राज्य कर्मचारी, राजकीय/सहायता प्राप्त शिक्षक/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी लाभान्वित होंगे

ऐसे स्थानीय निकाय, स्वशासी संस्थाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिक भी लाभान्वित होंगे, जिनमें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लागू किया गया है

मकान किराया भत्ता को दोगुना किए जाने के निर्णय से 2223 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा

लखनऊ : 17 जुलाई, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मकान किराए भत्ते की 01 दिसम्बर, 2008 से लागू दरों को 01 जुलाई, 2018 से दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। (तुलनात्मक विवरण **संलग्नक–2** पर उपलब्ध है) मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में वेतन समिति की संस्तुतियों को वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार लागू किए जाने से राज्य कर्मचारी, राजकीय/सहायता प्राप्त शिक्षक/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी लाभान्वित होंगे। ऐसे स्थानीय निकाय, स्वशासी संस्थाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिक भी लाभान्वित होंगे, जिनमें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लागू किया गया है।

इस निर्णय से प्रदेश के 8.52 लाख राज्य कर्मचारी, 5.50 लाख शिक्षक एवं 01 लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारी, कुल 15.02 लाख कर्मचारी आच्छादित होंगे। मकान किराया भत्ता को दोगुना किए जाने के निर्णय से 2223 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा। ज्ञातव्य है कि 01 दिसम्बर,

2008 से लागू दरों में 01 अगस्त, 2016 से 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, जिस पर 500 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय भार वहन किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप वर्तमान में 1723 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा।

उल्लेखनीय है कि वेतन समिति (2016) द्वारा सातवें प्रतिवेदन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के भत्तों एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में संस्तुतियां दी गई हैं। मकान किराया भत्ता अनुमन्य किए जाने हेतु नगरों का वर्तमान वर्गीकरण तथा वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के अनुसार किए जा रहे वर्गीकरण का तुलनात्मक विवरण **संलग्नक–1** पर उपलब्ध है।

नये वर्गीकरण के फलस्वरूप फिरोजाबाद नगर दूसरे स्तर से उच्चीकृत होकर उच्चतम श्रेणी में आ जाएगा। इसी प्रकार कुल 16 नगरीय क्षेत्र यथा लहरपुर, बिस्वां, महमूदाबाद, आंवला, सण्डीला, स्योहारा (बिजनौर), अतरौली, गुलावटी (बुलन्दशहर), सरधना, वृन्दावन, कोशीकलां, टूण्डला, अयोध्या, गजरौला, काल्पी तथा ग्रेटर नोएडा अवर्गीकृत श्रेणी से उच्चीकृत होकर दूसरे स्तर में आ जाएंगे।

वेतन समिति की संस्तुतियों में से मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में दी गई संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के फलस्वरूप राज्य कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर आने वाले व्यय भार के साथ–साथ कतिपय नगरों की श्रेणी उच्चीकृत होने तथा ए0सी0पी0 के फैक्टर को सम्मिलित करते हुए निम्नवत् अतिरिक्त व्यय भार अनुमानित हैः–

समूह / वेतनमान	कर्मचारियों की संख्या	अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार (रू0)
(1)	(2)	(3)
समूह–'क' / रू0 67,700–2,08,700 से रू0 2,25,000	18,672	रू0 84.00 करोड़
समूह–'ख' / रू0 44,900–1,42,400 से रू0 56,100–1,77,500	48,226	रू0 136.04 करोड
समूह–'ग' / रू0 19,900–63,200 से रू0 35,400–1,12,400	5,84,580	रू0 765.85 करोड
समूह–'घ' / रू0 18,000–56,900	2,00,751	रू0 206.55 करोड
कुल राज्य कर्मचारी	**8,52,229**	**रू0 1192.44 करोड़**
शिक्षक	**5,50,000**	**रू0 769.55 करोड**
शिक्षणेत्तर कर्मचारी	**1,00,000**	**रू0 139.92 करोड**
नगरों के उच्च श्रेणी में जाने पर अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार	**01 नगर श्रेणी 'अ' में 16 नगर श्रेणी 'ब' में**	**रू0 121.33 करोड़**
योग	**15,02,229**	**रू0 2223.24 करोड़**
दिनांक 01 अगस्त, 2016 से 20 प्रतिशत वृद्धि पर वहन किया जा रहा व्ययभार	**—**	**रू0 500 करोड़**
अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार	**—**	**रू0 1723.24 करोड़**

संलग्नक–1

नगरों के वर्गीकरण का तुलनात्मक चार्ट

वर्तमान वर्गीकरण		संशोधित वर्गीकरण	
जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार)	नगर की श्रेणी	जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	नगर की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)
20 से 50 लाख	'ए'	5 लाख एवं इससे अधिक	'अ' यथा – लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा क्षेत्र (गौतमबुद्ध नगर), गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झांसी, सहारनपुर तथा मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र।
10 से 20 लाख	'बी–1'		
05 से 10 लाख	'बी–2' उक्त तीनों श्रेणी में शामिल नगर में मकान किराया भत्ते की दरें एक समान हैं तथा इनमें सम्मिलित नगर निम्नवत् हैं– लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा क्षेत्र (गौतमबुद्ध नगर), गाजियाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर तथा मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र।		
50,000 से 05 लाख	'सी'	श्रेणी–'अ' के अतिरिक्त शेष सभी जिला मुख्यालय तथा 50,000 एवं अधिक परन्तु 05 लाख से कम	'ब'
50,000 से कम	अवर्गीकृत	उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र	'स'

संलग्नक–2

वेतन समिति की संस्तुतियों पर विचारोपरान्त मकान किराये भत्ता के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से लागू मकान किराये भत्ते की दरें दिनांक 01 जुलाई, 2018 से संशोधित होकर निम्नवत् हो जायेंगी :—

क0 सं0	ग्रेड–वेतन/ वेतनमान (रू0)/मैट्रिक्स लेवल	श्रेणी–ए, बी–1 तथा बी–2 के नगरों में दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से लागू दरें (रू0)	श्रेणी–'अ' के नगरों में दिनांक 01 जुलाई, 2018 से प्रस्तावित दरें (रू0)	श्रेणी–सी के नगरों में दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से लागू दरें (रू0)	श्रेणी–'ब' के नगरों में दिनांक 01 जुलाई, 2018 से प्रस्तावित दरें (रू0)	अवर्गीकृत श्रेणी के क्षेत्र में दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से लागू दरें (रू0)	श्रेणी–'स' (अवर्गीकृत) के नगरों में दिनांक 01 जुलाई, 2018 से प्रस्तावित दरें (रू0)
(1)	(2)	(3)	(7)	(4)	(8)	(5)	(9)
1	1800/लेवल–1	1100	2200	550	1100	365	730
2	1900/लेवल–2	1160	2320	580	1160	385	770
3	2000/लेवल–3	1200	2400	600	1200	400	800
4	2400/ लेवल–4	1470	2940	735	1470	490	980
5	2800/ लेवल–5	1670	3340	830	1660	555	1110
6	4200/ लेवल–6	2020	4040	1010	2020	670	1340
7	4600/ लेवल–7	2760	5520	1380	2760	920	1840
8	4800/ लेवल–8	2810	5620	1405	2810	935	1870
9	5400/ लेवल–9 एवं 10	3150	6300	1575	3150	1050	2100
10	6600/ लेवल–11	3780	7560	1890	3780	1260	2520
11	7600/ लेवल–12	4480	8960	2240	4480	1490	2980
12	8700/ लेवल–13	6910	13820	3455	6910	2300	4600
13	8900/ लेवल–13क	7280	14560	3640	7280	2430	4860
14	10000/ लेवल–14	8200	16400	4100	8200	2730	5460
15	12000 (67000–79000)/ लेवल–15	9200	18400	4600	9200	3000	6000
16	75500–80000/ लेवल–16	—	19700	—	9850	—	6500
17	वेतनमान 80000 नियत/ लेवल–17	10500	21000	5250	10500	3500	7000

———————

PN-CM-Cabinet Decision (HRA)-17 July, 2018.doc